


सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 673]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 16, 2014/अग्रहायण 25, 1936

No. 673]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 16, 2014/AGRAHAYANA 25, 1936

श्रम और रोजगार मंत्रालय

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 15 दिसम्बर, 2014

सा.का.नि. 896(अ).—भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित, भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 784(अ) तारीख 10 नवंबर, 2014 के हिन्दी पाठ में,—

- (i) पृष्ठ 2 पर, पंक्ति 25 में, (क्रम संख्यांक-ख, 03 पर) अंक '1996' के स्थान पर "1979" पढ़ें।
- (ii) पृष्ठ 2 पर, पंक्ति 26 में, (क्रम संख्यांक-ख, 04 पर) 'अधिनिय' शब्द के स्थान पर "अधिनियम" पढ़ें।

[फा. सं. जेड-16016/1/2014-डब्ल्यूवी]

पी.पी. मित्रा, प्रधान श्रम और रोजगार सलाहकार

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में, सा.का.नि. सं. 2367, तारीख 6 सितंबर, 1975 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, तत्पश्चात् का.आ. सं. 251, तारीख 7 जनवरी, 1984 और सा.का.नि. 784(अ), तारीख 10 नवंबर, 2014 द्वारा संशोधित किए गए।